

# हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून

चौदहवीं वित्त समिति की बैठक दिनांक: 24 जून, 2026 (बुद्धवार) का कार्यवृत्त

## बैठक में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति :-

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. डॉ० भानु दुगल, कुलपति, हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय                                 | - अध्यक्ष    |
| 2. श्री के.के. शुक्ला, उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | - सदस्य      |
| 3. श्री हेम चन्द्र काण्डपाल, उप निदेशक, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित        | - सदस्य      |
| 4. श्री मनीष कुमार उप्रेती, वित्त नियंत्रक, हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय               | - सदस्य सचिव |
| 5. डॉ० आशीष उनीयाल, कुलसचिव, हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय                              | - सदस्य      |
| 6. डॉ० राजन अरोड़ा, रजिस्ट्रार पैरामेडिकल काउन्सिल,                                     | - सदस्य      |

सर्वप्रथम बैठक में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए हे०न०ब०उ० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया और विश्वविद्यालय की गतिविधियों तथा भावी योजनाओं से समिति को अवगत कराया गया। तत्पश्चात वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्ताव बिन्दुवार प्रस्तुत किये गए एवं समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उन पर निम्नवत निर्णय लिए गये -

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-1-** विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा वर्ष 2026-27 का बजट वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार गत वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किये गये अनुमानित बजट के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹07.5 करोड़ के लगभग हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित बजट ₹0 19.87 करोड़ अनुमानित रखा गया है। उक्त बजट का प्रारूप वित्त समिति के सम्मानित सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।  
**निर्णय:-** प्रस्तुत बजट की वित्त समिति के सदस्यों द्वारा सराहना की गयी।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-2-** वित्त समिति की गत चौदहवीं बैठक दिनांक 25.08.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णयों सम्बन्धी अनुपालन आख्या की स्थिति :-

उक्त बैठक में कुल 10 बिन्दुओं पर निर्णय लिए गये थे, इन सम्पन्न बिन्दुओं को क्रमवार वित्त नियंत्रक द्वारा समिति के सदस्यों के सम्मुख पढ़कर प्रस्तुत किया गया, साथ ही पारित किये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से भी समिति को अवगत कराया गया।

**निर्णय:-** समिति द्वारा गत वर्ष सम्पन्न तेरहवीं बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी पुष्टि की गई।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-3-** पी.एच.डी. प्रोग्राम को पूर्णकालिक (FULL TIME) चलाये जाने हेतु विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक (VISITING PROFESSOR/PROFESSOR OF PRACTICE) की नियुक्ति/अनुसंधान छात्र (RESEARCH SCHOLARS) की नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव है, जिस हेतु निम्नानुसार व्ययभार आयोग :-

- 10 अतिथि प्राध्यापक (VISITING PROFESSOR/ PROFESSOR OF PRACTICE) की नियुक्ति (मानदेय) पर ₹0 4,000/- प्रति दिवस तथा अधिकतम 01 लाख प्रति माह एवं वार्षिक लगभग ₹0 01 करोड़ की धनराशि का व्ययभार आयोग।

H.N.B. Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

उप निदेशक  
पी०डी०ए०सी०डी०आर०एफ०ए०

Vice Chancellor  
HNB Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

- 10 अनुसंधान छात्र (RESEARCH SCHOLARS) की नियुक्ति (मानदेय) पर प्रति माह न्यूनतम ₹0 32,000/- प्रति छात्र के अनुसार वार्षिक लगभग ₹0 75 लाख की धनराशि का व्ययभार आयेगा।

उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के सम्मक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-4- विश्वविद्यालय द्वारा 02 अतिथि प्राध्यापक (मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ) पाठ्यक्रम हेतु लिये जाने का प्रस्ताव है, जिनके वेतन/भत्ता पर होने वाले व्ययभार बिन्दु संख्या-01 में निहित है। उक्त पाठ्यक्रम में प्रस्तावित अध्यापनरत विद्यार्थियों की संख्या 10 प्रति बैच (02 वर्ष हेतु) होगी। प्रत्येक विद्यार्थी की पाठ्यक्रमवार शुल्क ₹0 40 हजार वार्षिक लिये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर 01 वर्ष में ₹0 4 लाख की प्राप्तिर्याँ विश्वविद्यालय को होंगी (सलरन)

निर्णय - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी साथ ही उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु कार्मिको की संख्या 02 लिपिक एवं 02 अनुसेवक तक सीमित रखते हुए सेवा वाह्य श्रोत के माध्यम से किया जाना होगा। तथा मास्टर इन अस्पताल प्रशासन पाठ्यक्रम का भी संचालन किया जाना भी प्रस्तावित है जिस पर आने वाले व्यय का वहन विश्वविद्यालय की अपनी आय से किया जायेगा का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-5- विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें कुल 280 विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम हेतु प्रति विद्यार्थी ₹1,000/- का पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। प्राप्त राशि का उपयोग विशेषज्ञों के मानदेय, वैज्ञानिक व्याख्यान, तथा अल्पाहार एवं अन्य व्यवस्थाओं पर किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अनुसंधान एवं नवाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा समाज में विज्ञान की महत्ता को रेखांकित करना है। इस अवसर पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष व्याख्यान, संवाद सत्र एवं वैज्ञानिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। इस प्रकार यह कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों को नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें अनुसंधान एवं नवाचार की दिशा में प्रेरित भी करेगा। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करने हेतु यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के आयोजन में लगभग ₹0 10 लाख तक का अनुमानित व्ययभार आना संभावित है।

निर्णय - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

Registrar

H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

Registrar

Registrar

Registrar

Registrar

H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

Dehradun

Vice Chancellor  
HNB Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

एजेण्डा बिन्दु संख्या-6- हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अस्थिरता विद्यार्थियों को रिसर्च/अनुसंधान हेतु प्रोन्नत किये जाने हेतु SHORT TERM STUDENTSHIP (STS) हेतु कमरा: स्नातक के अधिकतम 40 विद्यार्थी एवं स्नातकोत्तर के 35 विद्यार्थियों को एस.टी.एस. का लाभ चरणबद्ध तरीके से निम्नवत् दिया जायेगा :-

तालिका-1 स्नातक			
क्र० सं०	स्नातक विद्यार्थी अधिकतम 40	मर्दों में होने वाले प्रस्तावित व्यय	कुल व्यय होने वाली धनराशि
1.	मेडिकल-10	03 वर्ष हेतु कुल अधिकतम व्यय रु० 30 हजार प्रति चयनित विद्यार्थी जिसे प्रथम चरण में रु० 05 हजार, द्वितीय चरण में रु० 10 हजार एवं तृतीय चरण में रु० 15 हजार।	12,00,000.00 कुल धनराशि में से प्रथम चरण हेतु इस वित्तीय वर्ष में रु० 05 हजार के अनुसार अधिकतम 40 विद्यार्थियों पर व्यय रु० 2,00,000.00
2.	डेन्टल-10		
3.	नर्सिंग-10		
4.	एलाईड हैल्थ-10		

तालिका-2 स्नातकोत्तर			
क्र० सं०	स्नातकोत्तर विद्यार्थी अधिकतम 35	मर्दों में होने वाले प्रस्तावित व्यय	कुल व्यय होने वाली धनराशि
	मेडिकल-10	03 वर्ष हेतु कुल अधिकतम व्यय रु० 50 हजार प्रति चयनित विद्यार्थी जिसे प्रथम चरण में रु० 20 हजार, द्वितीय चरण में रु० 30 हजार	17,50,000.00 कुल धनराशि में से प्रथम चरण हेतु इस वित्तीय वर्ष में रु० 20 हजार के अनुसार अधिकतम 35 विद्यार्थियों पर व्यय रु० 7,00,000.00
	डेन्टल-05		
	नर्सिंग-10		
	एलाईड हैल्थ-10		

निर्णय - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-7- विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में पी.एच.डी. संचालित की जा रही है, एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ावा दिये जाने हेतु विशिष्ट विषय विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय में अंशकालिक रूप से समय-समय पर योजित करना आवश्यक हो रहा है, ताकि अस्थिरता विद्यार्थी उनकी विशिष्टता का लाभ प्राप्त कर सकें। उक्त हेतु प्रस्ताव निम्नवत् है :-

  
Registrar

  
Finance Controller

  
उप निदेशक



H.N.B. Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

Dehradun

Vice Chancellor  
HNB Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

तालिका-3 पी.एच.डी.			
क0 सं0	विषय	मदों में होने वाले प्रस्तावित आय/व्यय	कुल आय/व्यय
1.	पी.एच.डी. हेतु संसोधित दरों का अनुमोदन	प्रवेश परीक्षा शुल्क - ₹ 4000/- पंजीकरण शुल्क - ₹ 5000/- शिक्षण शुल्क (पूर्णाकालिक) - ₹ 40000 शिक्षण शुल्क (अंशकालिक) - ₹ 15000/- मूल्यांकन शुल्क - ₹ 20000/- धरोहर सशि (रिफण्डेबल) ₹ 10000/-	संभावित आय (50 शोधार्थियों के पंजीकृत होने पर) 25,00,000.00 (आय)

निर्णय - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-8- विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने हेतु एक जिनोमिक प्रयोगशाला (Genomic Lab) की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है, जो कि हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन/फिजियोलॉजी जिसका विशेष रूप से उपयोग चार धाम की यात्रा के समय किया जा सकता है, प्रस्तावित है कि उक्त की स्थापना विकास एवं संयोजन हेतु ₹0 01 करोड़ का व्ययभार आना संभावित है, जिसका वहन विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं अर्जित आय से किया जायेगा।

निर्णय - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह मत दिया गया की एजेण्डा बिन्दु संख्या 07 में उल्लेखित विषय से उत्तराखण्ड शासन को भी अवगत कराया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-9- विश्वविद्यालय में Section 8 Company जो कि भारत में एक विशेष प्रकार की गैर-लाभकारी कंपनी है, जिसे शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, कला संस्कृति, धर्म, चैरिटी आदि उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, का पंजीकरण संबंधी कार्य कराया जाना है। यह Companies Act, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। विश्वविद्यालय को इस हेतु सरकार से ₹0 01 करोड़ तक का अनुदान मिल सकता है, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में ही कम्पनी द्वारा अनुसंधान संबंधी कार्य कराये जायेंगे। उक्त कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी फर्म के माध्यम से कराया जा रहा है, जिस हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

निर्णय - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

Registrar

Registrar

Registrar

Registrar

Registrar

Registrar

H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

Vice Chancellor  
HNB Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

एजेण्डा बिन्दु संख्या-10- विश्वविद्यालय की ग्यारहवीं वित्त समिति दिनांक 08.10.2024 के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या-06 में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु ₹0 500/- प्रति छात्र का शुल्क लिया जा रहा है। उक्त शुल्क को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है :-

- विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र जो पहले ही उत्तीर्ण होकर निकल चुके हैं, वे भी कभी-कभी पंजीकरण हेतु (प्रमाणपत्र सत्यापन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, एलुमनाई रजिस्ट्रेशन, या किसी दस्तावेज में सुधार/संशोधन) आते हैं, इस हेतु शुल्क ₹0 1,000/- प्रति पाठ्यक्रम/प्रति विद्यार्थी किये जाने का प्रस्ताव है।
- विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र जो पहले ही उत्तीर्ण होकर निकल चुके हैं, वे रोजगार (Employment) से संबंधित कारणों से भी पंजीकरण हेतु (प्रमाणपत्र सत्यापन, अनुभव प्रमाण पत्र, अथवा विश्वविद्यालय से जारी किए जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज हेतु) आते हैं, इस हेतु शुल्क ₹0 2,000/- प्रति अभ्यर्थी किये जाने का प्रस्ताव है।

- विश्वविद्यालय में ऐसे अभ्यर्थी जो पहले ही उत्तीर्ण होकर निकल चुके हैं, वे तृतीय पक्ष (Third Party) के माध्यम से भी पंजीकरण

हेतु (किसी संस्था, कंपनी अथवा एजेंसी द्वारा नियुक्ति, सत्यापन या अन्य प्रशासनिक कार्यवाही, विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र, अंकपत्र अथवा अन्य दस्तावेजों की पुष्टि) आते हैं, इस हेतु शुल्क ₹0 3,000/- प्रति अभ्यर्थी किये जाने का प्रस्ताव है।

- विश्वविद्यालय में ऐसे अभ्यर्थी जो पहले ही उत्तीर्ण होकर निकल चुके हैं, वे विदेश से भी पंजीकरण हेतु (उच्च शिक्षा, शोध, या रोजगार के अवसरों के लिए प्रमाणपत्र सत्यापन, ट्रांसक्रिप्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेजों) आते हैं, इस हेतु शुल्क ₹0 5,000/- प्रति अभ्यर्थी किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-11- विश्वविद्यालय द्वारा लोकभवन (देहरादून) एवं विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाने वाली सेमिनार/गोष्ठियों हेतु वर्तमान में जो भी व्याख्यानदाता (यह अपने कार्य-क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं) आते हैं, उन्हें ₹0 1,000/- सिटिंग चार्ज मानदेय के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है, जो कि सम्मानजनक प्रतीत नहीं होता है। उक्त मानदेय की धनराशि को बढ़ाकर ₹0 3,500/- प्रति विशेषज्ञ किये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही दिनांक 1 अप्रैल 2026 को देहरादून स्थित लोक भवन में "चारधाम यात्रा के दौरान चिकित्सीय समस्याएँ एवं सड़क दुर्घटना सुरक्षा उपाय" विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मा0 कुलपति महोदय की अनुसंशा के आधार पर व्याख्यानदाताओं को ₹0 3,500/- प्रति व्यक्ति की दरों से मानदेय भुगतान किया गया है, उक्त की कार्योत्तर स्वीकृति भी वित्त समिति के समक्ष निवेदित है।

निर्णय - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

H.N.B. Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun  
Finance Controller  
Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

उप निदेशक  
पी0डी0यू0सी0टी0आर0एफ0ए0ए0

Vice Chancellor  
HNB Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-12-** विश्वविद्यालय की 12वीं वित्त समिति दिनांक 27 फरवरी, 2025 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-3 में विभिन्न परीक्षाओं हेतु आने वाले वाह्य परीक्षकों को होटल में रात्रि प्रवाश हेतु ठहरने के लिए रु0 3,500 /- प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त धनराशि आज की महंगाई के अनुरूप उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः इसको बढ़ाकर रु0 5,000 /- अधिकतम (कर अतिरिक्त) (श्रेणी के आधार पर) किये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही यह बढ़ोत्तरी मात्र परीक्षकों तक सीमित ना करके हुए विश्वविद्यालय के संबंधित अन्य कार्यों (व्याख्यानदत्ताओं/पी.एच.डी. प्रोग्राम/मानद उपाधि से अलंकृत होने वाले माननीयों/विश्वविद्यालय हित में होने वाले एवं अन्य क्रियाकलापों हेतु आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों) में आने वाले व्यक्तियों हेतु भी बढ़ाये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

**निर्णय -** उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त के बाद यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनदेश संख्या 18/XXVII(7)/18-509140/2017 दिनांक 23 जनवरी 2023 के टी0ए0 (यात्रा भत्ता) नियमानुसार भुगतान करेंगे। जैसे की परीक्षक/आमंत्रित सदस्य/विशिष्ट अतिथि जो कि केन्द्रीय संस्थानों एवं अन्य राज्य से आते है उन्हें उनकी श्रेणी के अनुसार अनुमन्य यात्रा भत्ता के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-13-**वर्तमान वर्ष-2026 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाओं हेतु लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क की धनराशि सभी पाठ्यक्रमों हेतु रु0 500 /- की बढ़ोत्तरी की गयी है। इस वर्ष आयोजित करायी गयी प्रवेश परीक्षा में बढ़ी हुई दरों के आधार पर अभ्यर्थियों से निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया गया है :-

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	श्रेणी	पूर्व में लिये जा रहे शुल्क	वर्तमान वर्ष में की गयी बढ़ोत्तरी
1.	ए.एन.एम. / जी.एन.एम.	सामान्य एवं ओ.बी.सी.	1500.00	2000.00
2.	ए.एन.एम. / जी.एन.एम.	ई.डबल्यू.एस. एवं एस.सी. / एस.टी.	1000.00	1500.00
3.	बी.एस.सी. नर्सिंग / बी.एस.सी. पैरामेडिकल / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. / एम.एस.सी. / एन.पी.सी.सी. / एम.एस.सी. पैरामेडिकल	सामान्य एवं ओ.बी.सी.	2000.00	2500.00
4.	बी.एस.सी. नर्सिंग / बी.एस.सी. पैरामेडिकल / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. / एम.एस.सी. / एन.पी.सी.सी. / एम.एस.सी. पैरामेडिकल	ई.डबल्यू.एस. एवं एस.सी. / एस.टी.	1500.00	2000.00

इस वर्ष नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में कुल 14154 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किये गये हैं, जिसमें रु0 500 /- की शुल्क बढ़ोत्तरी से रु0 70 लाख के लगभग अतिरिक्त आय प्राप्त हुई।

**निर्णय -** उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

H.N.B. Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

उप निदेशक  
शु0डी0गु0सी0टी0अर0एक0ए0

Vice Chancellor  
HNB Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun





**COMPARATIVE CHART – AFFILIATION FEES, MEDICAL COURSES (ABVMU VS HNBUMEU)**


S.N	HEADING	HNBUMEU PRIVATE COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)			ABVMU PRIVATE COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)			HNBUMEU GOVERNMENT COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)			ABVMU GOVERNMENT COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)		
		FEES	GST 18%	TOTAL	FEES	GST 18%	TOTAL	FEES	GST 18%	TOTAL	FEES	GST 18%	TOTAL
1	LATTER OF INTENT/CONSENT												
2	APPLICATION FEE	10000	N/A	10000	10000	1800	11800	N/A	N/A	N/A	10000	1800	11800
3	PRIOR FEE BEFORE AFFILIATION	N/A	N/A	N/A	10000	1800	11800	2500	450	2950	5000	900	5900
	TOTAL (1+2+3)	N/A	N/A	N/A	50000	9000	59000	N/A	N/A	2700	15000	2700	17700
4	INSPECTION FEE	10000	N/A	10000	70000	12600	82600	2500	450	2950	30000	5400	35400
5	FIRST TIME AFFILIATION FEE FOR NEW COLLEGE	N/A	N/A	N/A	600000	108000	708000	N/A	N/A	N/A	200000	36000	236000
6	YEARLY AFFILIATION FEE	N/A	N/A	N/A	2000000	360000	2360000	N/A	N/A	N/A	500000	90000	590000
7	SEAT ENHANCEMENT (PER SEAT)	50000	9000	59000	1000000	180000	1180000	10000	1800	11800	250000	45000	295000
8	RENEWAL FEE (AFTER 5 YEARS)	N/A	N/A	N/A	20000	3600	23600	N/A	N/A	N/A	3000	540	3540
9	RE-INSPECTION FEE FOR EVERY REVISIT	N/A	N/A	N/A	600000	108000	708000	N/A	N/A	N/A	125000	22500	147500
10	ADMINISTRATIVE AND SERVICE FEE												
	APPROVED SEAT (1+40)	N/A	N/A	N/A	100000	18000	118000	N/A	N/A	N/A	100000	18000	118000
	APPROVED SEAT (41+60)	N/A	N/A	N/A	150000	27000	177000	N/A	N/A	N/A	150000	27000	177000
	APPROVED SEAT (61+100)	N/A	N/A	N/A	175000	31500	206500	N/A	N/A	N/A	175000	31500	206500
11	LATE FEE FOR APPLICATIONS	N/A	N/A	N/A	200000	36000	236000	N/A	N/A	N/A	200000	36000	236000
12	CHANGE OF NAME/PLACE/ ORGANIZATION	N/A	N/A	N/A	30000	5400	35400	N/A	N/A	N/A	30000	5400	35400
	TOTAL	600000	9000	609000	5425000	976500	6401500	12500	2250	14750	1593000	358740	2413740


**COMPARATIVE CHART – AFFILIATION FEES, NURSING COURSES (ABVMU VS HNBUMEU)**


S.N	HEADING	HNBUMEU PRIVATE COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)			ABVMU PRIVATE COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)			HNBUMEU GOVERNMENT COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)			ABVMU GOVERNMENT COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)		
		FEES	GST 18%	TOTAL	FEES	GST 18%	TOTAL	FEES	GST 18%	TOTAL	FEES	GST 18%	TOTAL
1	LATTER OF INTENT/CONSENT	10000	N/A	10000	10000	1800	11800	N/A	N/A	N/A	10000	1800	11800
2	APPLICATION FEE	N/A	N/A	N/A	10000	1800	11800	2500	450	2950	5000	900	5900
3	PRIOR FEE BEFORE AFFILIATION	N/A	N/A	N/A	50000	9000	59000	N/A	N/A	N/A	15000	2700	17700
	TOTAL (1+2+3)	10000	N/A	10000	70000	12600	82600	2500	450	2950	30000	5400	35400
4	INSPECTION FEE	N/A	N/A	N/A	400000	72000	472000	N/A	N/A	N/A	100000	18000	118000
5	FIRST TIME AFFILIATION FEE FOR NEW COLLEGE	N/A	N/A	N/A	1200000	216000	1416000	N/A	N/A	N/A	300000	54000	354000
6	YEARLY AFFILIATION FEE	50000	9000	59000	500000	90000	590000	10000	1800	11800	150000	27000	177000
7	SEAT ENHANCEMENT (PER SEAT)	N/A	N/A	N/A	12000	2160	14160	N/A	N/A	N/A	500	90	590
8	RENEWAL FEE (AFTER 5 YEARS)	N/A	N/A	N/A	350000	63000	413000	N/A	N/A	N/A	100000	18000	118000
9	RE-INSPECTION FEE FOR EVERY REVISIT	N/A	N/A	N/A	400000	72000	472000	N/A	N/A	N/A	100000	18000	118000

  
**Registrar**  
 H.N.B. Uttarakhand Medical  
 Education University  
 Dehradun

  
**Finance Controller**  
 H.N.B. Uttarakhand Medical  
 Education University  
 Dehradun

  
**Registrar**  
 H.N.B. Uttarakhand Medical  
 Education University  
 Dehradun

  
**Registrar**  
 H.N.B. Uttarakhand Medical  
 Education University  
 Dehradun

  
**Vice Chancellor**  
 HNB Uttarakhand Medical Education University  
 Dehradun

S/N	HEADING	HNBUMU PRIVATE COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)		ABVMU PRIVATE COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)		HNBUMU GOVERNMENT COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)		ABVMU GOVERNMENT COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)					
		FEE	TOTAL	FEE	TOTAL	FEE	TOTAL	FEE	TOTAL				
10	ADMINISTRATIVE AND SERVICE FEE	APPROVED SEAT (1+40)	N/A	N/A	40000	7200	N/A	N/A	40000	7200			
		APPROVED SEAT (41+60)	N/A	N/A	60000	10800	N/A	N/A	60000	10800			
		APPROVED SEAT (61+100)	N/A	N/A	80000	14400	N/A	N/A	80000	14400			
11	LATE FEE FOR APPLICATIONS	APPROVED SEAT (101 AND ABOVE)	N/A	N/A	100000	18000	N/A	N/A	100000	18000			
			N/A	N/A	30000	5400	N/A	N/A	30000	5400			
			N/A	N/A	50000	9000	N/A	N/A	50000	9000			
	TOTAL	60000	9000	69000	3222000	579960	3801960	12500	2250	14750	1170500	210590	1381190

**COMPARATIVE CHART – AFFILIATION FEES, PARAMEDICAL COURSES (ABVMU VS HNBUMU)**

S/N	HEADING	HNBUMU PRIVATE COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)		ABVMU PRIVATE COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)		HNBUMU GOVERNMENT COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)		ABVMU GOVERNMENT COLLEGE/INSTITUTION FEE (WITH 18% GST)					
		FEE	TOTAL	FEE	TOTAL	FEE	TOTAL	FEE	TOTAL				
1	LATTER OF INTENT/CONSENT	10000	N/A	10000	1800	N/A	N/A	10000	1800				
2	APPLICATION FEE	N/A	N/A	10000	1800	2500	450	5000	900				
3	PRIOR FEE BEFORE AFFILIATION	N/A	N/A	50000	9000	N/A	N/A	15000	2700				
	TOTAL (1+2+3)	10000	N/A	10000	12600	2500	450	30000	5400				
4	INSPECTION FEE	N/A	N/A	350000	63000	N/A	N/A	75000	13500				
5	FIRST TIME AFFILIATION FEE FOR NEW COLLEGE	N/A	N/A	1000000	180000	N/A	N/A	300000	54000				
6	YEARLY AFFILIATION FEE	50000	9000	300000	54000	10000	1800	100000	18000				
7	SEAT ENHANCEMENT (PER SEAT)	N/A	N/A	10000	1800	N/A	N/A	400	72				
8	RENEWAL FEE (AFTER 5 YEARS)	N/A	N/A	300000	54000	N/A	N/A	75000	13500				
9	RE-INSPECTION FEE FOR EVERY REVISIT	N/A	N/A	350000	63000	N/A	N/A	100000	18000				
10	ADMINISTRATIVE AND SERVICE FEE	APPROVED SEAT (1+40)	N/A	N/A	40000	7200	N/A	N/A	40000	7200			
		APPROVED SEAT (41+60)	N/A	N/A	60000	10800	N/A	N/A	60000	10800			
		APPROVED SEAT (61+100)	N/A	N/A	80000	14400	N/A	N/A	80000	14400			
11	LATE FEE FOR APPLICATIONS	APPROVED SEAT (101 AND ABOVE)	N/A	N/A	100000	18000	N/A	N/A	100000	18000			
			N/A	N/A	30000	5400	N/A	N/A	30000	5400			
			N/A	N/A	50000	9000	N/A	N/A	50000	9000			
	TOTAL	60000	9000	69000	2670000	480560	3150600	12500	2250	14750	1070400	192572	1263072

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को 12 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, किन्तु सम्बद्धता शुल्कों से प्राप्त आय बहुत कम है। सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय की आय का बहुत बड़ा स्रोत है, किन्तु जिन दरों से विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क लिया जा रहा है, वह किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः लखनऊ (उ०प्र०) स्थित अटल बिहारी वाजपेय मेडिकल विश्वविद्यालय (A.B.V.M.U) द्वारा पाठ्यक्रमवार लिये जा रहे सम्बद्धता शुल्क को यथारूप में इस विश्वविद्यालय हेतु अंगीकृत कर लिया जाये। साथ ही समस्त सम्बद्धता कॉलेजों द्वारा

H.N.B. Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

शुभ निदेशक

Vice Chancellor  
HNB Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun



वर्ष में 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक समस्त सम्बद्धता संबंधी शुल्क जमा करने की एक अंतिम तिथि घोषित की जाये, जो कॉलेज 31 दिसम्बर तक शुल्क जमा नहीं करते हैं, वे 01 जनवरी से 31 मार्च तक दुगना शुल्क जमा करेंगे, और यदि इसके उपरान्त भी कॉलेजों द्वारा शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो इसके पश्चात ये कॉलेज तीन गुना शुल्क जमा करेंगे। उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3342/XXVIII(1)/2015-29(सामान्य)/2015 देहरादून दिनांक 16 जनवरी, 2015 के द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता शुल्क की दरें निर्धारित की गयी थी। उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक .....को शासनादेश संख्या-649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 में सम्बद्धता हेतु नियम एवं शुल्क निर्धारित किये गये हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा-2016 शासनादेश के अनुपालन में शुल्क लिया जा रहा है।

**निर्णय** - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त के बाद यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या-649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 उच्च शिक्षा से संबंधित है। तथा उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3342/XXVIII(1)/2015-29(सामान्य)/2015 देहरादून दिनांक 16 जनवरी, 2015 को जारी सम्बद्धता शुल्क संबंधी शासनादेश लागू किये जाने की सहमति प्रदान की गयी। जोकि अग्रिम सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-15**-विश्वविद्यालय में दिनांक 22 मई, 2026 को मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 3.11 जिसमें एम.डी./एम.एस. पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में Thesis/Desertation के जमा कराये जाने एवं मूल्यांकन के संबंध में चर्चा हुई, जिसमें उक्त का मूल्यांकन शुल्क एवं मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक की दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था। उपरोक्त के क्रम में एम.डी./एम.एस. थीसिस मूल्यांकन शुल्क रु० 10,000/- लिया जाना प्रस्तावित है। मूल्यांकन कर्ता को रु० 4,000/- प्रति थीसिस की दर से मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है।

**निर्णय** - उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-16**-उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों हेतु मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा समान कार्य हेतु समान वेतन (न्यूनतम वेतनमान व अनुमन्य महंगाई भत्ता) दिये जाने हेतु निर्णय दिये गए हैं, जिसके अनुपालन में राज्य सरकार/उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या-I/367134/XCVII-C-1/2025/02(07)/2016 टी.सी. दिनांक 03 फरवरी, 2026 के अनुसार कार्मिकों को समान कार्य हेतु समान वेतन (न्यूनतम वेतनमान व अनुमन्य महंगाई भत्ता) दिये जाने के लिए शासनादेश जारी किया गया है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल के माध्यम से कार्यरत (समूह-ग के कुल 09 कार्मिक, समूह घ के 06 कार्मिक) को समान कार्य का समान वेतन दिये जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त के संदर्भ में भविष्य में उत्तराखण्ड शासन से लागू होने वाले शासनादेश उपनल के माध्यम से नियोजित अन्य कार्मिकों पर स्वतः ही लागू होंगे। उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उक्त स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय पर रु० 40 लाख तक का अतिरिक्त व्ययभार प्रतिवर्ष आयेगा।

**निर्णय** -उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा विभाग से समान कार्य समान वेतन (न्यूनतम वेतनमान व अनुमन्य महंगाई भत्ता) दिये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी साथ ही उक्त के संदर्भ में समय-समय पर मा० न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश उपनल के माध्यम से कार्यरत विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिकों पर स्वतः ही प्रभावी होंगे।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-17**-विश्वविद्यालय में समय-समय पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक, शोध इत्यादि गतिविधियों हेतु 01 ऐम्फी थियेटर हेतु रु० 455.35 लाख, एडमिन ब्लॉक हेतु रु० 6.50 करोड़ (परियोजना की कुल लागत रु० 15.50 करोड़), आवासीय भवन हेत रु० 86 लाख (परियोजना की कुल लागत रु० 214.36 लाख) कार्य किये जाने का प्रस्ताव है।

Registrar  
H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

Finance Controller  
H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

उप निदेशक  
पी०डी०यू०सी०टी०आर०एफ०ए०

Vice Chancellor  
H.N.B. Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

निर्णय – उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किए जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-18**—विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता एवं तदसंबंधी विभिन्न कार्यों हेतु पोर्टल/वैबसाईट का निर्माण कराया जाना है इस हेतु वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु रु0 03 करोड़ डेवलपमेन्ट व्यय एवं 03 साल का रख रखाव किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय – उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि पोर्टल/वैबसाईट के निर्माण एवं रख रखाव हेतु 03 करोड़ 5 लाख 53 हजार का कुल व्यय होने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन एवं आई0टी0डी0ए0 को प्रेषित किया जाय। उक्त वाह्य सेवा श्रोत (सी डैक) से संबंधित प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन एवं आई0टी0डी0ए0 से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित प्रकरण पर कार्यवाही की जानी होगी, जिस पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-19**—विश्वविद्यालय में दिनांक 22 मई, 2026 को कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 3.06 जिसमें छात्र-छात्राओं का पंजीकरण निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने एवं परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने पर विलम्ब शुल्क के संबंध में चर्चा हुई, जिसमें समिति द्वारा सर्वसम्मति से विलम्ब शुल्क लगाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी, विलम्ब शुल्क का निर्धारण वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की भी सहमति व्यक्त की गयी। अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त हेतु प्रस्तावित है कि विलम्ब शुल्क की धनराशि रु0 1,000/- प्रति विद्यार्थी देय होगी।

निर्णय – उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-20**—विश्वविद्यालय में दिनांक 22 मई, 2026 को मा0 कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 3.08 जिसमें विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दरों एवं प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु मानदेय की दरों पर चर्चा हुई। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा इस प्रस्ताव को वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। यहाँ यह भी अगवत कराना है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में उपरोक्त वर्णित कार्यों हेतु विश्वविद्यालय की द्वितीय वित्त समिति दिनांक 24 जनवरी, 2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-10 एवं सातवीं वित्त समिति दिनांक 12.11.2021 के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार निम्नवत भुगतान किये जाते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	निर्धारित दरें (रु0 में)
1	स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षकों को उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (लिखित)	रु0 20/- प्रति उत्तर पुस्तिका एवं अधिकतम 75 उत्तर पुस्तिकाएँ प्रतिदिन
2	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षकों को उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (लिखित)	रु0 25/- प्रति उत्तर पुस्तिका एवं अधिकतम 60 उत्तर पुस्तिकाएँ प्रतिदिन
3	स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षकों को उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (प्रयोगात्मक)	रु0 15/- प्रति उत्तर पुस्तिका एवं न्यूनतम रु0 500/-
4.	प्रधान परीक्षक वाह्य हेतु सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि	रु0 3500/- प्रति विषय प्रतिदिन, अधिकतम रु0 15000/-

H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

Finance Controller  
H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University

उप निदेशक  
पी0डी0यू0सी0टी0आर0एफ0ए0

Vice Chancellor  
H.N.B. Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun

5.	सहायक प्रधान परीक्षक वाह्य हेतु सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि	₹ 2500/- प्रति विषय प्रतिदिन, अधिकतम ₹ 12000/-
6.	आन्तरिक परीक्षक सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि (एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0)	₹ 3500/- प्रति विषय सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि हेतु
7.	आन्तरिक परीक्षक सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि नर्सिंग/पैरामेडिकल	₹ 1500/- प्रति विषय सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि हेतु

मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य तथा संकाय सदस्यों द्वारा उक्त दरों को पुर्ननिर्धारित करने की माँग की जाती रही है। वर्तमान दरें के.जी.एम.यू. विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समकक्ष हैं।

निर्णय – उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के अधिकारी गणों की टीम अटल विहारी बाजपेय विश्वविद्यालय लखनऊ तथा अन्य मेडिकल विश्वविद्यालय का भ्रमण कर प्रचालित व्यवस्था नियम एवं मानदेय की दरों का परीक्षण कर आगामी वित्त समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।




एजेण्डा बिन्दु संख्या-21—विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2026 को इंटीग्रेशन मेडिसिन प्रोग्राम लोकभवन में किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें पुरातन चिकित्सा पारंपरिक एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति के इंटीग्रेशन मेडिसिन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उक्त गोष्ठी में अन्तर्राष्ट्रीय संकाय सदस्यों द्वारा हवाई यत्रा से आना जाना, भोजन की व्यवस्था लोकभवन में प्रिन्टिंग का कार्य साज-सज्जा का कार्य, बैनर, फ्लैक्स, इत्यादि पर लगभग 25 लाख का व्ययभार आना संभावित है, जिसका वहन विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं अर्जित आय से किया जायेगा।

निर्णय – उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय (माननीय कुलपति) द्वारा समिति के सभी सदस्यों भौतिक रूप से उपस्थित को धन्यवाद दिया गया, एवं बारहवीं वित्त समिति की बैठक समाप्त की गयी।


वित्त समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर :-

1. प्रो० (डॉ०) भानु दुग्गल कुलपति,  
हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय, देहरादून — अध्यक्ष
2. श्री के.के. शुक्ला, उप सचिव,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
3. श्री हेम ~~ब्रह्म~~ काण्डपाल, उप निदेशक, सी.टी.एफ.आर.ए.  
प्रतिनिधि वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

  
 Vice Chancellor  
 HNB Uttarakhand Medical Education University  
 Dehradun  
  
 उप सचिव  
 चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग  
 उत्तराखण्ड शासन  
  
 उप निदेशक  
 पी०डी०यू०सी०टी०आर०एफ०ए०


4. श्री मनीष कुमार उप्रेती, वित्त नियंत्रक,  
हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय, देहरादून

– पदेन सचिव

  
~~Finance Controller~~  
H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun


5. डॉ० आशीष उनियाल, कुलसचिव,  
हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय, देहरादून

– सदस्य

  
Registrar  
H.N.B. Uttarakhand Medical  
Education University  
Dehradun

6. डॉ० राजन अरोड़ा, रजिस्ट्रार पराचिकित्सा परिषद

– नामित सदस्य

  
.....